UPBG010012072026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या- 01, बागपत।

उपस्थित : पूनम राजपूत, उच्चतर न्यायिक सेवा

जे०ओ० कोड नं०- यू० पी० 6104

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 433/2026

सन्तपाल पुत्र राजेन्द्र, मूल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत, हाल निवासी मौहल्ला ठाकुरद्वारा, कस्बा व थाना बागपत, जनपद बागपत।

.....अभियुक्त।

बनाम

राज्य .....अभियोजक।

दिनांकः 12.03.2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सन्तपाल** की ओर से मु०अ०सं० 92/2026, अन्तर्गत धारा 292, 125, 109(1), 118(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 30 आयुध अधिनियम, थाना बागपत, जनपद बागपत में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **शपथपत्र रवि कुमार** इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उक्त मुकदमे में गाँव की पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त थल सेना से रिटायर फौजी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के पास लाइसेन्सी बन्दूक है। प्रार्थी/अभियुक्त ने जानबूझकर कोई फायर आदि नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी लाईसेन्सी बन्दूक की सफाई कर रहा था जिस कारण बन्दूक की सफाई करते समय गलती से गोली चल गयी और गोली दीवार में लगकर छर्रे विपक्षी के मकान में चले गये। प्रार्थी/अभियुक्त का वादी से कोई वाद-विवाद या रंजिश नहीं है। जो भी घटना घटित हुई है, वह एक दुर्घटना है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात न्यायालय में नियत तिथियों पर हाजिर आता रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.02.2026 से जिला कारागार, बागपत में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त मान्य न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4- अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा निगम ने थाना बागपत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय के साथ दर्ज करायी कि '...प्रार्थिनी निगम शर्मा पत्नी आदित्य शर्मा निवासी मौहल्ला ठाकुरद्वारा की रहने वाली है। प्रार्थिनी के पड़ोस में रहने वाला संतपाल पुत्र राजेन्द्र, निवासी खट्टा प्रहलादपुर, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत का रहने वाला है। संतपाल लगभग चार महीने से ठाकुरद्वारा मौहल्ले में मकान खरीद कर रह रहा है और 24 घण्टे शराब पीकर नशे में रहता है और आस-पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों के साथ गाली-गलौच करता है और मारपीट करता है और दिनांक 10.02.2026 को करीब 02:30 बजे शराब के नशे में धुत संतपाल पहले तो बीच मौहल्ले में

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.03.12 17:19:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

खड़े होकर गाली-गलौच कर रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर किसी ने मेरी शिकायत पुलिस से की तो मैं उसे जान से मार दूँगा और फिर अपने घर से अपनी लाईसेन्सी दो नली बन्दूक लेकर आया जान से मारने की नीयत से मेरी बेटी अवन्या जो कि सिर्फ आठ साल की है, के ऊपर फायर कर दिया। जिससे मेरी बेटी जो कि अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी उस फायरिंग से किये हुए कुछ छर्रे अवन्या को हाथ और गर्दन में लग गये जिससे प्रार्थिनी की बेटी जख्मी हो गयी। छर्रे लगने से प्रार्थिनी की बेटी अवन्या काफी भयभीत और डरी हुई है।...' उपरोक्त के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ।

5- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री के ऊपर जान से मारने की नीयत से कोई फायर नहीं किया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में चुटैल को आयी चोटों की प्रकृति साधारण होना अभिकथित है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

6- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8- पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा की आठ वर्षीय पुत्री के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा की गयी फायरिंग में कुछ छर्रे वादी मुकदमा की पुत्री के हाथ व गर्दन पर लग गये, जिससे वादी मुकदमा की पुत्री जख्मी हो गयी। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या में चुटैल को आयी चोटों की प्रकृति साधारण होना अभिकथित है। चिकित्सीय आख्या में चुटैल को किसी मर्मस्पर्शी भाग पर चोट आना अभिकथित नहीं है। अभियोजन की ओर से कथित घटना का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी दर्शित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त अन्य मामले में आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में दिनांक 11.02.2026 से जिला कारागार, बागपत में निरुद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सन्तपाल** की ओर से मु०अ०सं० 92/2026, अन्तर्गत धारा 292, 125, 109(1), 118(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 30 आयुध अधिनियम, थाना बागपत, जनपद बागपत में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 50,000/- (पचास हजार) रुपये** का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र एवं निम्नलिखित अण्डटेकिंग सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टिनुसार दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा किया जायेः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

दिनांकः 12.03.2026

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या-01, बागपत।